सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 17, सोमवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 09, 2023 *Asvina 17, Monday , Saka 1945- October 09, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 08, 2023

संख्या प.4(10)कृषि/ग्रुप-2/2018 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.10.2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बयाना के क्षेत्र में से पंचायत समिति, वैर की 40 ग्राम पंचायते क्रमशः अलीपुर, झारौटी, पथैना, वाछरैन, सलेमपुर कलॉ, छौंकरवाडा, इटामडा, सुहारी, रणधीरगढ, मैनापुरा, गौगेरा, बल्लभगढ, हाथौडी, सिरस, लखनपुर, समराया, सुहांस, चकधरसौनी, गोविन्दपुरा, हतीजर, मोलोनी, नैवाडा, निठार, बवेखर, दीवली, आमौली, जीवद,सैंधली, गांगरौली, चैंटोली, बझेरा कलॉ, उमरैण, जगजीवनपुर, नारौली, जहानपुर, कमालपुरा, सलेमपुर खुर्द, बारौली, घाटरी, भैंसीना एवं नवीन नगरपालिका क्षैत्र वैर एवं नगरपालिका क्षैत्र भुसावर के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति भुसावर वैर के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे पंचायत समिति, वैर की 40 ग्राम पंचायते क्रमशः अलीपुर, झारौटी, पथैना, वाछरैन, सलेमपुर कलॉ, छौंकरवाडा, इटामडा, सुहारी, रणधीरगढ, मैनापुरा, गौगेरा, बल्लभगढ, हाथौडी, सिरस, लखनपुर, समराया, सुहांस, चकधरसौनी, गोविन्दपुरा, हतीजर, मोलोनी, नैवाडा, निठार, बवेखर, दीवली, आमौली, जीवद,सैंधली, गांगरौली, चैंटोली, बझेरा कलॉ, उमरैण, जगजीवनपुर, नारौली, जहानपुर, कमालपुरा, सलेमपुर खुर्द, बारौली, घाटरी, भैंसीना एवं नवीन नगरपालिका क्षैत्र वैर एवं नगरपालिका क्षैत्र भुसावर का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति भुसावर वैर का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, भुसावर वैर का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'द' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

कृषक वर्गः-

1. श्री तोताराम गुर्जर पुत्र रूप सिंह (ओबीसी)

2. श्री नारायण सिंह सैनी ललिता मूडिया (ओबीसी)

3. श्रीमती कुसुम जाट पत्नी लखमी हलैना (ओबीसी महिला)

4. श्रीमती सुफेदी पत्नी रामप्रसाद जाटव (एससी महिला)

5. श्रीमती उगन्ती देवी मीणा पत्नी भगवान सिंह (एसटी महिला)

6. श्री बृजमोहन तिवाडी पुत्र श्री गिरिराज सिंह (सामान्य)

व्यापारी वर्गः-

1. श्री नीरज गर्ग

ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रतिनिधि:-

1. श्री कमरू खां निवासी झालाटाला

स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि

1. श्रीमती ललतेश कुमारी सरपंच इटामडा

राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि:-

1. श्री हजारीलाल पण्डित निवासी वैर

माननीय विधायक:-

1.श्री भजनलाल जाटव विधायक वैर।

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, भुसावर वैर से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।